राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 956 / 2014..... जिला : जयपुर.....

मैसर्स ए.बी.बी.इण्डिया लिमिटैड, जयपुर बनाम वा.क.अ.प्रतिकरापवंचन द्वितीय,राज.जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.06.2014	**खण्डपीठ** **श्री जे.आर.लोहिया,सदस्य** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** पत्रावली पेश हुई । यह अपीलमय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय,वाणिज्यिक कर,जयपुर (जिसे सक्षेप में' अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के समक्ष लम्बित अपील में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित आदेश दिनांक 5.6.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा अपील में विवादित मांग राशि में से वसूली योग्य राशि रू.12,95,69,179/–की वसूली पर रोक सम्बन्धी प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करते हुए रू. 4,00,00,000/– की वसूली पर रोक स्वीकार कर शेष वूसली योग्य राशि रू. 8,95,69,179/–पर स्थगन अस्वीकार किये जाने के आदेश दिनांक 5.6.2014 के विरूद्ध वैट अधिनियम की धारा 83 के तहत यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी की ओर से श्री पारस पाटनी,अभिभाषक.एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा व श्री जितेन्द्र सक्सेना की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का कथन हे कि अपीलार्थी ने अवाडर्स को माल केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम,1956(जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 6(2) के तहत विक्रय किया गया है,जिसके समर्थन में सी फार्म व ई–1 भी दिया गया है इसलिए विक्रय को राज्य के भीतर विक्रय अन्यथा करारोपण किया गया है। अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी ने संविदा कार्यो में प्रयुक्त माल अन्तर्राज्जीय वाणिज्यि व्यवहार में आयात किया गया है इसलिए राज्य में करारोपण नहीं किया जा सकता। अपने तर्क के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 88 एस टी सी 204 मैसर्स गेनन डंकरली एण्ड कम्पनी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य, कर बोर्ड के निर्णय 38 टैक्स अप डेट 135, वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम एल एण्ड टी(माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि) एवं व्यवहारी के पूर्व वर्ष के प्रकरण में कर बोर्ड द्वारा स्थगन स्वीकृत निर्णयों को उद्धृत किया। अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी ने आवंटित कार्य सब कान्ट्रेक्टर्स यथा मैसर्स द इण्डयोर प्रा.लि., मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटैड एवं मैसर्स थाईसेनकप इण्डस्ट्रीज इण्डिया से कराया गया जिसके कर निर्धारण आदेशों की प्रति प्रस्तुत कर कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उस टर्नओवर पर राजस्थान मॅूल्य परिवर्धित कर नियम 22 (2ए) के अनुसार विचारित नहीं कर दोहरा करारोपण किया है। इन आधारों पर प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में बताते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर बल दिया। प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक एवं कर निर्धारण अधिकारी ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा संविदा कार्यो में माल सप्लाई	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 956/2014..... जिला : जयपुर.....

मैसर्स ए.बी.बी.इण्डिया लिमिटेड, जयपुर बनाम वा.क.अ.प्रतिकरापवंचन द्वितीय, राज.जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.06.2014	के साथ इरेक्शन,टेस्टिंग व कमीशनिंग का Turn key आधार पर कार्य किया गया है। इन संविदा कार्यो में माल की अवार्डर को बिक्री कमीशनिंग के पश्चात संभव होने के कारण केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6 (2) तहत नहीं हो सकती थी इसलिए 6(2) के तहत कथित आयातित माल राज्य के भीतर विक्रय होने के कारण कर व ब्याज आरोपण किया गया है। यह भी कथन किया कि सब कान्ट्रेक्टर द्वारा निष्पादित कराये गये कार्यो के सम्बन्ध में सृजित मांग को अपीलीय अधिकारी ने स्थगन स्वीकार कर लिया गया है। यह भी कथन किया कि माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पूर्व में पारित स्टे आदेशों में संदर्भित निर्णय अन्यथा तथ्यों पर आधारित होने के कारण इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। अतः अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया करने, कर निर्धारण आदेश, अपील आधारों, कर निर्धारण अधिकारी के आदेश व उद्धरित निर्णयों का अध्ययन किया गया। प्रकरण में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6 (2) के तहत अपीलार्थी द्वारा घोषित विक्रय को राज्य में विक्रय मानने का महत्वपूर्ण विधिक विवाद अन्तर्वलित है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टर्न की आधार पर संविदा कार्यो के लिए प्रयुक्त माल का संविदा कार्य जारी रहते विक्रय मानकर करारोपण का विवादित बिन्दु निहित है। बहस में उठाये गये बिन्दुओं के मध्येनजर प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये वगैर प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतःअपीलीय अधिकारी के द्वारा स्वीकृत स्थगन आदेश के अतिरिक्त शेष बकाया मांग राशि रू. 8,95,69,179/--आगामी दो माह के लिए इस शर्त पर स्थगित की जाती है कि अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोषपरक नियमानुसार जमानतें आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में प्रस्तुत करें अन्यथा निर्णय स्वतःनिष्प्रभावी माना जायेगा। साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उनके समक्ष लम्बित अपील को गुणावगुण के आधार पर दो माह में निस्पादित करना सुनिश्चित करें। निर्णय सुनाया गया। (सुनील शर्मा) सदस्य (जे.आर.लोहिया) सदस्य 11/06/14	